न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—192 / 2024 / 223 आर.टी.एक्ट (2024 / 192)

1. रामबाबू पुत्र श्री कैलाश जाति तेली,
2. अशोक पुत्र श्री कैलाश जाति तेली,
3. छोटी देवी पत्नी श्री कैलाश जाति तेली,
   समस्त निवासीगण ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला दूदू।

अपीलांट्स

बनाम

1. अभिजीत साहू पुत्र श्री बाबूलाल साहू जाति तेली,
2. केशव साहू पुत्र श्री बाबूलाल साहू जाति तेली जरिए वल्ली माता श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री बाबूलाल जाति तेली,
3. चन्द्रकला पुत्री श्री बाबूलाल साहू जाति तेली,
4. श्रीमती सीमा देवी पत्नी श्री बाबूलाल साहू जाति तेली
5. श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री रूपनारायण जाति तेली
6. प्रवीण पुत्र श्री रूपनारायण जाति तेली
7. राजकुमार पुत्र श्री रूपनारायण जाति तेली
8. रामजीलाल पुत्र श्री रूपनारायण जाति तेली
9. रवि साहू पुत्र श्री कानाराम जाति तेली
10. रामजीलाल पुत्र श्री कानाराम जाति तेली
11. हरिश कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति तेली
    समस्त निवासीगण ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला दूदू।
12. शाखा प्रबंधक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा दूदू जिला दूदू।
13. शाखा प्रबंधक यूको बैंक दूदू जिला दूदू।
14. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय दूदू जिला दूदू।
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दूदू।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 राजस्व वाद संख्या 18 / 2022.

उपस्थितः—

1. श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री भगवानसिंह राजावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 7
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14, 15
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 8 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—28.10.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18 / 2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 9 से 15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाबदावा समय पर प्रस्तुत नहीं करने और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 से 7 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित प्रतिवादी संख्या 4 व 5 उपस्थित नहीं। उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 19.06.2024 को तकासमा का वाद स्वीकार कर कुर्रेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार को तहरीर भिजवाई। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 8 से 13 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 में रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 ने रेस्पोडेन्ट सं0 9 से 11 के विरूद्ध तथ्यों को छिपाकर के वाद प्रस्तुत किया जब कि उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से अर्जित अविभाजित आराजीयात् है, जो कि हमारे पूर्वज छगना थे और छगना के तीन पुत्र क्रमशः लाला, रामदेव व धन्ना थे और अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 9 लाला पुत्र छगना के विधिक वारिसान है और इसी आराजी बाबत् एक राजस्व वाद अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष विचाराधीन है जो कि बउनवानी रामबाबू बनाम प्रवीण कुमार वगैरह का ग्राम दूदू जमाबंदी सम्वतः 2071 से 2074 के खाता सं0 1166, 1165 व 1164 के बाबत् प्रस्तुत कर रखा है और इसी आराजी बाबत् और भी राजस्व वाद उसी न्यायालय में प्रस्तुत हो रखा है। रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 द्वारा प्रस्तुत वाद की जानकारी पूर्व में नहीं थी और उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 से सीधे–सीधे प्रार्थीगण ही प्रभावित पक्षकार है। इसलिए प्रार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही उक्त वाद प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रार्थीगण की सुनवाई किया जाना अति आवश्यक था फिर भी उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिससे कि प्रार्थीगण आक्षेपित आदेश से सीधे–सीधे प्रभावित पक्षकार है जिससे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96-*** *when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*
अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06. 2024 जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर दिया गया और दिनांक 25.07.2024 को नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 26.07.2024 को प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर के प्रार्थीगण द्वार फीस इत्यादि की व्यवस्था कर वकील साहब से संपर्क कर उक्त अपील तैयार करवाई और आज जानकारी से अंदर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।
न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963–धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।
अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के पूर्वज विवादित आराजीयात् के मूल खातेदार छगना जी थे। उनके तीन पुत्र क्रमशः लाला, रामदेव व धन्ना थे जिसमें हम अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 के पिता लाला पुत्र श्री छगना ही थे। उक्त आराजीयात् अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार के संयुक्त आय से अर्जित भूमि है और उसी आराजी बाबत् एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष विचाराधीन जो कि बउनवानी रामबाबू बनाम प्रवीण कुमार है, जिसमें ग्राम दूदू की आराजी जमाबन्दी सम्वतः 2071 से 2074 के खाता सं0 1166, 1165, 1164 वाद विचाराधीन है और यदि उक्त वाद पहले निर्णित होकर के रेस्पोडेन्ट के

मध्य वाद तकासमा का डिक्री हो जाएगा तो अपीलांट का वाद का कोई लोकस नहीं रहेगा। इसलिए रेस्पोडेन्ट/वादी के वाद को मात्र कयासों के आधार पर डिक्री किया गया जो काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट के द्वारा उसी आराजी के बाबत् उन्हीं पक्षकारों के मध्य वाद विचाराधीन था तो उनको कनसोलिडेटेड कर देते या फिर उक्त वाद को उनके साथ ही निर्णित करने के लिए तारीख पेशी एक साथ नियत कर देते लेकिन रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 चालाक प्रवृति के होशियार व्यक्ति है। इसलिए तथ्यों को छिपाकर के विचारणीय न्यायालय के समक्ष जो तथाकथित वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं० 9 से 11 ने दावे का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और विचारणीय न्यायालय ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से बन्द कर दिया क्योंकि रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 व रेस्पोडेन्ट सं0 9 से 11 ने आपस ने दुर्भिसंधि करके दावे को विचारणीय न्यायालय के समक्ष डिक्री करवा लिया जो कि विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का वाद भी उसी न्यायालय में, उसी आराजी एवं उक्त सभी रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजीयात् ग्राम दूदू के खाता सं० 1166, 1164, 1165 के बाबत् यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी सं० 1 से 9 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा जिनके पूर्वज छगना थे। उनके तीन पुत्र क्रमशः लाला, रामदेव व धन्ना। लाला के तीन वारिसान क्रमशः रूपनारायण, मोहन व कैलाश है और कैलाश के हम वादीगण और रूपनारायण रेस्पोडेन्ट सं० 1 से 8 व मोहन स्वयं है। उक्त आराजी संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से अर्जित भूमि है जिसमें सभी का वादी एवं प्रतिवादीगण लाला पुत्र श्री छगना का विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है और इसी आराजी बाबत् एक राजस्व वाद कमला देवी बनाम कैलाशचन्द विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 29.06.2021 को जारी की गई और एक राजस्व वाद मोहनलाल बनाम रूपनारायण वगैरह में दिनांक 05.03.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई और एक वाद रामबाबू बनाम प्रवीण कुमार वगैरह का भी उपखण्ड अधिकारी, दूदू के यहाँ विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2024 की नियत है, जिसमें भी उक्त पक्षकारों को जानकारी है उसके बावजूद भी अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये ही उक्त राजस्व वाद एक तरफा में दिनांक 19.06.2024 को डिक्री किया जबकि विचारणीय न्यायालय को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने अपीलांट द्वारा उठाये गये तर्कों पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया और उनकी निर्णय एवं डिक्री की तारीफ में नहीं आता उनका निर्णय व डिक्री आदेश 41 नियम 31 की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है। इसलिए विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर के कयासों के आधार पर दुर्भिसंधि द्वारा वादी का वाद डिक्री किया गया जो कि विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर के विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

11. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 1166 के आराजी खसरा नम्बर 3426 रकबा 0.8100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3427 रकबा 0.5700 खसरा नम्बर 3728 रकबा 0.7000 खसरा नम्बर 3429 रकबा 0.4600 खसरा नम्बर 3430 रकबा 0.6000 खसरा नम्बर 3431 रकबा 0.5900 खसरा नम्बर 3432 रकबा 0.2200 खसरा नम्बर 3433 रकबा 0.1300 खसरा नम्बर 3434 रकबा 1.2100 खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.1800 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 6.4700 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर राज० में जिसमें वादी संख्या 1 लगायत

4 का संयुक्त रूप से सम्पूर्ण आराजी में 1/10 हिस्सा है तथा व्यक्तिगत रूप से 1/40 हिस्सा है इसी अनुसार वादी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 6 का 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/10 हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/10 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा निहित है तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं खातेदार काश्तकार है पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। उक्त आराजी को आगे के पैराज में विवादित आराजी से सम्बोधित किया गया है। वादी संख्या 1 लगायत 3 तथा वादी संख्या 4 लगायत 8 ने अपने हिस्से की आराजी को प्रतिवादी संख्या 5 के यहां रहन रख रखी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 प्रतिवादी संख्या 4 के यहां आराजी को रहन रखी है। विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है मौके पर उक्त विवादित आराजीयात की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अपने अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं वादी ने अपने हिस्से की आराजी में खाद बीज डालकर, मेर लगाकर काफी उन्नत एवं उपजाउ बनाकर विवादित आराजी को उपयोग उपभोग में ले रहा हैं। वादी ने उक्त आराजीयात में अपने हिस्से की आराजी को काफी वर्षो से बाहजोत करता चला आ रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 आये दिन वादी की मेर कोर को लेकर विवाद रखते है तथा जबरन वादी के हिस्से की आराजीयात में कब्जा काश्त फसल को नुकसान कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है चुकिं वादी उक्त विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, उक्त आराजी का वादी बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्वान्त अनुसार विधिवत तकासमा करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के कृत्य की ऐवज में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। दिनांक 05.02.2022 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विधिवत तकासमा करवाने से साफ इंकार हो गये अतः वादी को यह आवश्यक हुआ कि वह विधिवत विभाजन का वाद प्रस्तुत करे अतएवं यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ कि यह माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से बाई मीट्स एण्ड बोण्डस के सिद्धान्त अनुसार विभाजन कराये जिससे कि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न हो। वादी का वाद कारण दिनांक 05.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार हो जाने एवं वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को बैचान करने की धमकी देने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ हैं, जिससे वादी का वाद अन्दर मियादं प्रस्तुत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

12. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वादपत्र अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में दिनांक 19.06.2024 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2076 के खाता संख्या 1166 के खसरा नम्बर 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3437 कुल किता 10 कुल रकबा 6.4700 के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 1/40 हिस्से के तथा

रेस्पोडेंट संख्या 5 से 8, 1/10 हिस्से तथा रेस्पोडेंट संख्या 9 से 11, 1/6 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार हैं। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है। जिस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 से 8 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 9 से 11 के विरूद्ध वाद डिक्री किया जाकर उभयपक्षों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धांत अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबंदी अलहदा–अलहदा किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया था।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 से 3/रेस्पोडेंट संख्या 9 से 11 को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाने का अवसर बंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर वादी व प्रतिवादी के मध्य खाता संख्या 1166 के खसरा नम्बर 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3437 कुल किता 10 कुल रकबा 6.4700 है0 वाकै ग्राम दूदू बाई मीट्स एण्ड बोउण्ड्स के सिद्धांत अनुसार तकासमा किए जाने तथा खाता अलहदा–अलहदा किए जाने के आदेश पारित किए गए व तहसीलदार दूदू को मुताबिक नक्शे कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया गया कि उक्त आराजीयात से संबंधित अन्य वाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, परंतु पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसके अनुसार वादी/रेस्पोडेंट्स बंटवारा कराने के अधिकारी है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण से संबंधित अन्य वाद भी विचाराधीन है जिनका निर्णय होना शेष है जिनका निर्णय बाद साक्ष्य गुणावगुण पर होगा परंतु न्यायालय हाजा के समक्ष वर्तमान प्रकरण में वादी/रेस्पोडेंट्स खातेदार/काश्तकार हैं तथा अपनी आराजीयात का बंटवारा कराने के हक अधिकारी हैं। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित कर पाने में विफल रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया अनुसार प्रकरण का गहनता से अवलोकन किए जाने के पश्चात पारित की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है, उनके द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

13. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर